गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 3566/स्था./प्रशा./2005 बिलासपुर, दिनांक 31/10/05

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 22.10.2005 विषय क्रमांक–01 के निर्णयानुसार श्रीमती अर्पिता राय चौधरी,(अनारक्षित) पति श्री ए.के.राय चौधरी की नियुक्ति निम्न शर्तो पर विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय योजनान्तर्गत संचालित, प्रौद्योगिकी संस्थान के इंडस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विभाग में व्याख्याता के पद पर वेतनमान रूपये 8000–275–13500/– में दो वर्ष की परिवीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बने परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के साथ समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होगें।

यदि परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवायें चालचलन संबंधी जॉच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होगी।

दिनांक 14.11.2005 तक पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम 31 एवं अध्यादेश–4 के अंतर्गत संचालित होगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य है।

उपर्युक्त शर्तो में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नही की जावेगी । वेतन एवं अन्य शर्ते उपर्युक्तानुसार होगी, अन्य शर्त मान्य नहीं होगी।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय स्ववित्तीय योजनान्तर्गत संचालित प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना मद में विकलनीय होगा।
प्रमाणित किया जाता है कि चयन में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक 3567/स्था./प्रशा./2005 बिलासपुर, दिनांक 31/10/05

प्रतिलिपि :–

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन,डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
05. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
06. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेंशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छ.ग.शासन, रायपुर (छ.ग.)।
07. निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
08. वित्ताधिकारी/सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. श्रीमती अर्पिता राय चौधरी को इस निर्देश के साथ कि वे दिनांक 14.11.2005 तक आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, आयु, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा इकरारनामा भी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10. निजी नस्ती।

उप कुलसचिव (प्रशासन)